

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2022—श्रावण 3, शक 1944

गृह (सामान्य) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2022

क्र. एफ 01-05-2022-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-21-2001-दो-ए(3), दिनांक 24 जनवरी, 2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को अपनी अधिकारिता के भीतर औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केन्द्रों में स्थित भूमियों, भवनों तथा परिसरों के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

No. F-01-05-2022-2-A(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Act, 1974 (No. 46 of 1974), and in supersession of this departments notification No. F-01-21-2001-2-A(3), dated 24th January 2001, the State Government, hereby, appoints the Executive Director, Regional Office, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited as the competent authority to exercise the powers under the said Act regarding lands, buildings and premises situated in Industrial areas and Development Centers within his Local limits.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र सिंह, सचिव.